# कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/परीक्षा/2010/100 दिनांकः 01 मई, 2012

## आदेश

विषयः– विधि परीक्षा सम्पादित कराने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के यह ध्यान में लाया गया है कि दिनांकः 02.05.2012 से राजस्थान में अवस्थित राजकीय विधि महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा करवाई जानी है। राजकीय विधि महाविद्यालय अभी तक पैतृक महाविद्यालय में ही संचालित किये जा रहे हैं एवं पैतृक महाविद्यालय में कार्यरत स्टॉफ का ही उपयोग परीक्षा कार्य सम्पादित करवाने में लिया जाता रहा है।

अतः उन सभी पैतृक महाविद्यालयों के प्राचार्यों (जिनमें विधि महाविद्यालय संचालित है) को निर्देशित किया जाता है कि जिन विधि महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जा रही है या की जानी है उन महाविद्यालयों को विधि परीक्षा, 2012 के सुचारू सम्पादन हेतु सभी सुविधायें यथा–, वीक्षकगण, परीक्षाकक्ष, स्ट्रांक रूम (डबल ताले वाला) अशैक्षणिक स्टॉफ, फर्निचार एवं अन्य जो भी सुविधा वांछित हो, उपलब्ध करावें ताकि विधि परीक्षा 2012 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करें अन्यथा परीक्षा कार्य में सहयोग नहीं करने पर संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध निर्देशों की अवहेलना करने का दोष मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/परीक्षा/2010/100 दिनांकः 01 मई, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ——————
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय
4. रक्षित पत्रावली। / STO धीरेन्द्र देवभी वेबसाइड पर डालने हेतु।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर